संलग्नक-08

मेसर्स–एस.के.एस. सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–पताईडीह (सैंमराडीह), तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट–3.0 एम.टी.पी.ए., क्लिंकर–1.4 एम.टी.पी.ए., कोल वॉशरी–0.96 एम.टी.पी.ए., एवं केप्टीव पॉवर प्लान्ट 2X20 मेगावॉट एवं प्रस्तावित चिल्हाटी लाईम स्टोन माइंस क्षमता –2.25 एम.टी.पी.ए. (लीज एरिया 299.751 हेक्टेयर) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 25.07.2014 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान ग्राम –पताईडीह में निर्माणाधीन आई.टी.आई. भवन के समीप खाली मैदान में तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई. आई. ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत् मेसर्स–एस.के.एस. सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–पताईडीह (सेमराडीह), तहसील–मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट–3.0 एम.टी.पी.ए., क्लिंकर–1.4 एम.टी.पी.ए., कोल वॉशरी–0.96 एम.टी.पी.ए., एवं केप्टीव पॉवर प्लान्ट 2X20 मेगावॉट एवं प्रस्तावित चिल्हाटी लाईम स्टोन माइंस क्षमता –2.25 एम.टी.पी.ए. (लीज एरिया 299.751 हेक्टेयर) की स्थापना के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 25.07.2014 को ग्राम –पताईडीह में निर्माणाधीन आई.टी.आई. भवन के समीप खाली मैदान में तहसील–मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.) में श्री एन. तिग्गा, अपर कलेक्टर, बिलासपुर की अध्यक्षता एवं श्री बी. एस. ठाकुर, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की सहभागिता में लोक सुनवाई पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रारंभ की गई।

अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लोक सुनवाई के संबंध में छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही से जनसामान्य को अवगत कराया गया एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई में सभी इच्छुक वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा–पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जावेगी। साथ ही यह भी समझाईश दी गई कि जब वक्ता अपना वक्तव्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका–टिप्पणी न करें, तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जावें। यह भी बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो वे दे सकते हैं। ऐसे लिखित में प्राप्त सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां की अभिस्वीकृति छ.ग. पर्यावरण

संरक्षण मंडल, के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दी जावेगी तथा उसे अभिलेख में लाया जावेगा।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा मेसर्स–एस.के.एस. सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–पताईडीह (सेमराडीह), तहसील–मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.) के प्रतिनिधि को उद्योग के संबंध में सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में किये गये आंकलन की जानकारी से उपस्थित जन सामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया ।

मेसर्स–एस.के.एस. सीमेंट लिमिटेड, ग्राम–पताईडीह (सेमराडीह), तहसील–मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री एस. एस. गर्ग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जनसामान्य को उद्योग एवं उद्योग से संभावित पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित सीमेंट प्लांट–3.0 एम.टी.पी.ए., क्लिंकर–1.4 एम.टी.पी.ए., कोल वॉशरी–0.96 एम.टी.पी.ए., एवं केप्टीव पॉवर प्लान्ट 2X20 मेगावॉट एवं प्रस्तावित चिल्हाटी लाईम स्टोन माइंस क्षमता –2.25 एम.टी.पी.ए. (लीज एरिया 299.751 हेक्टेयर) के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जन सुनवाई में आसपास के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक–एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां रखे। जन सामान्य द्वारा निम्नानुसार सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई :–

1. **<u>श्री भूषण सिंह मधुकर, जल उपभोक्ता संघ पंचायत अध्यक्ष, खारंग डिवीजन.</u>** :–जहां भी प्लांट स्थापित होता है सबसे पहले स्थान चिन्हित किया जाता है किन्तु कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इनका विचार है कि किसानों के जमीन को हड़प लिया जाये और बाहरी लोगों को यहां रोजगार दिया जाये। जब तक कि प्राकृतिक संपदा का विनाश उनका दोहन नहीं होगा तब तक देश एवं राज्य का विकास नहीं हो सकता इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करने जा रहा हूँ। किन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि कंपनी द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को कम से कम प्रशिक्षण तो दिया जावे, किन्तु कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। क्या कंपनी यहां के स्थानीय लोगों को नौकरी देगी? स्थानीय किसान अपनी भूमि से वंचित हो जायेंगे। यहां के खेतों की 5 वर्ष पहले लगभग 2 से 2.50 लाख रू. में रजिस्ट्री हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जब भी, जहां भी कोई उद्योग लगता है तो किसान लोग को कम से कम असिंचित जमीन का 6 से 8 लाख और सिंचित जमीन

का 10 से 12 लाख रू. का दर प्रत्येक न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था। जबकि यहां 2 से 2.50 लाख बताया गया है, जो कि गलत है। जहां भी प्लांट की स्थापना किया जाता है वहां ग्राम का विकास किया जाता है, वहां शिक्षा के लिए स्कूल, पर्यावरण के संबंध में, पानी ये सारे व्यवस्था किये जाते हैं। किन्तु आज तक यहां कुछ नहीं किया गया है। अगर हमारे क्षेत्र के किसान के साथ धोखा होगा तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमारे इस क्षेत्र के व्यक्ति आई ए एस, आई पी एस, डॉक्टर आदि अधिकारी बने हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्लांटेशन के पहले ये जान लेना चाहिए कि प्रभावित किसान का मुआवजा कितना है ? कम से कम यहां 50 से 60 लाख रू. प्रति एकड़ के बिना कोई भी किसान अपनी भूमि नहीं देंगे, जब तक यहां स्वास्थ्य, पानी, स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी उद्योग के कर्मचारी लोग को प्रवेश ही नहीं दिया जाये। हम यहां कितना भी विरोध कर लें यहां प्लांट खुल ही जायेगी। यहां जो होना है वह तय है कि क्या होना है और क्या नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के हित में, बेरोजगार एवं इस क्षेत्र के पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही किया जाये।

2. **<u>श्री राजेश्वर भार्गव, जिला पंचायत सदस्य बिलासपुर, मस्तूरी क्षेत्रः</u>**— आज की इस लोक सुनवाई का मैं घोर विरोध करता हूँ। जन सुनवाई के पहले जो कंपनी द्वारा जन सुनवाई कराया जाता है तो उद्योग की नीति को चस्पा किया जाता है। लेकिन इस जन सुनवाई में स्पष्ट नीति नहीं है। इसका विरोध करता हूँ। इस कंपनी के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री 2 एकड़ का हुआ था, जिसमें जेल भी हुआ था। ऐसी फर्जी कंपनी का मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेसर्स एस.के.एस. सीमेंट लिमि., द्वारा अपनी उद्योग नीति की स्पष्ट जानकारी के साथ इस क्षेत्र के प्रभावित किसानों एवं बेरोजगारों के हितों के लिए पहले एग्रीमेंट करके दिया जाये उसके पश्चात् जनसुनवाई हो। क्षेत्र के किसानों एवं जनता के ओर से एक जन प्रतिनिधि होने के नाते, पूर्व में जो खरीदी हुई थी 2 से 2.50 लाख में उसे प्रतिएकड़ 25 लाख रू. मुआवजा दिया जाये। प्रभावित किसान के परिवार को स्थायी नौकरी दिया जाये, 10 से 15 कि.मी. क्षेत्र के बेरोजगार बच्चों को मुफ्त में आई.टी.आई. कराकर स्थायी नौकरी दिया जाये। प्रभावित ग्रामों में पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए, फॉरेस्ट जमीन, छोटे झाड़ के जंगल पहले उसमें वृक्षारोपण करें, पर्यावरण प्रदूषण न हो, विशेष ध्यान रखा जाये। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क आदि की समुचित व्यवस्था पहले करायी जाये उसके बाद जन सुनवाई किया जाये। प्रभावित क्षेत्र के हरियाली के लिए

लगभग 4 से 5 कि.मी. के दायरे में पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण किया जाये। जमीन की खरीदी के लिए कंपनी और प्रभावित किसान के द्वारा ग्राम में चौपाल लगाकर हमारी मांग को स्पष्ट कर खरीदा जाये। मैं आज की जन सुनवाई का घोर विरोध करता हूँ।

3. **श्री चंदराम बर्मन, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत–पताईडीह** :–मैं मेसर्स–एस.के.एस. सीमेंट लिमि. का भरपूर समर्थन करता हूँ। आज जो यहां विरोध कर रहें है उन्हीं लोगों के द्वारा पूर्व में यहां हुई जन सुनवाई में अपना समर्थन दिया गया था। यहां प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा 25 से 30 लाख रू. मिलना चाहिए। प्रभावित किसानों के एक सदस्य को स्थायी नौकरी में रखा जाना चाहिए। शासन के निर्देशानुसार कंपनी को काम देना चाहिए।

4. **श्री दामोदर कांत, ग्राम–बोहारडीह** :– यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तभी तो हम इस कंपनी का समर्थन करते हैं।

5. **श्री उमाशंकर मधुकर, पानी पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सदस्य, ग्राम –पंचपेढ़ी** :– मैं इस जन सुनवाई का घोर विरोध करता हूँ। सर्वप्रथम कंपनी वालों ने बताया कि 5 ग्राम पंचायत प्रभावित हैं, जिसमें 500 हेक्टेयर लेना है। इसमें 1 प्रतिशत किसान यहां पर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? अर्थात् उनको जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के किसी किसान के पैतृक जमीन अगर प्लांट के लिए अधिग्रहित होता है तो बहुत दर्द होता है। इन सबको ध्यान रखते हुए कि 1 वर्ष पूर्व जमीन अधिग्रहण नियम बना है क्या उसका पालन हो रहा है? अगर पालन नहीं हो रहा है तो मेरा मांग है उस जमीन अधिग्रहण भू–अधिनियम का सरकार पालन करवाये। यहां के 5 ग्राम पंचायतों के प्रभावित किसानों के बच्चों को प्लांट में काम में लिया जाये ऐसी मेरी मांग है। जनता के हित में जो नहीं बोलता ऐसे लोग यहां 4 दिन से ज्यादा नहीं दिखेंगे। प्लांट खुलवाने से पहले जो लोग यहां बोले है उनको ध्यान में रखकर कार्यवाही करें।

6. **श्री भागबली धृतलहरे, पूर्व जनपद सदस्य, मस्तूरी**:– मैं मेसर्स एस. के. एस. सीमेंट लिमि. का घोर विरोध करता हूँ। बिना जनता को बताये दलालों के माध्यम से जमीन की खरीदी बिक्री करना घोर अपराध है। छ.ग. के जनता भोले भाले है और अपने मान सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते है। ऐसे लोगों को बाहर के व्यक्ति

आकर उनकी जमीन को धोखा देकर और गुमराह करके हस्ताक्षर कराकर खरीदा जा रहा है जो कि अन्याय है इसलिए इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। अगर कोई प्लांट जमीन खरीदता है तो जमीन बिकी के बारे में किसानों को जानकारी होना चाहिए। यदि जमीन खरीद रहे हैं तो चौपाल लगाकर खरीदिए। प्रति एकड़ कम से कम 50 लाख रू. मुआवजा राशि दिया जाये। अगर नहीं दिया जाता है तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। यहां आसपास के जनता को नौकरी देना चाहिए। शिक्षा, आई.टी. आई. एवं हॉस्पिटल की स्थापना होना चाहिए। जब तक यहां उक्त व्यवस्था की स्थापना नहीं की जायेगी तब तक हम यहां फैक्टरी नहीं खोलने देंगे।

7. **श्री सौकत, किसान, ग्राम–पताईडीह** :–मैं अनपढ़ हूँ। गांव वालों ने मिलकर सुझाव दिये है कि 35 लाख रू. प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित करें एवं हमारे गांव के प्रभावित किसानों के घर से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाये। सड़क, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग करते हैं। पूर्व में हमारे जमीन को धोखा धड़ी से 1 से 1.50 लाख रू. में बेचा गया है वह आज हमको खल रहा है। हमारे पूर्वज मर गये, किन्तु सरकार हमारे लिए आज तक आंख बंद किये हुए है। हम लोग सूखी रोटी खाकर अपना जीवन इस ग्राम में बिताये है लेकिन इस ग्राम को नहीं छोड़े हैं आज हमारी आत्मा रोती है कि शासन हमारे ग्राम को बेच दिया । शासन से मेरा निवेदन है कि हमारे ग्राम में अकाल पड़ने के बाद भी अपने खेतों में धान उपजाते रहे। आज उसी ग्राम से हमे भगाया जा रहा है। कंपनी एवं शासन से निवेदन है कि वे हमारी हितों को ध्यान में रखते हुए मांगो को पूरा करें।

8. **श्री चंद्रप्रकाश कुर्रे, विधायक प्रतिनिधि** :–वास्तव में ये पताईडीह बहुत ही दलित शोषित एवं गरीब गांव है। इस ग्राम के जितने भी आश्रित ग्राम है वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले और हरेक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए। यहां पंचपेढ़ी में जो आई.टी.आई. है उसे इस कंपनी के द्वारा गोद लेना चाहिए। गांव के आसपास क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ लिखकर निकल रहे हैं उन्हें कंपनी में नौकरी मिलना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क एवं स्वास्थ्य की सुविधा देना चाहिए। इसी के साथ मैं इस कंपनी का समर्थन करता हूँ।

9. **श्री राज कुमार अंचल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी मेम्बर** :– मैं पहले शासन से यह जवाब मांगता हूँ कि यदि हम जनसुनवाई में विरोध करते है तो क्या ये प्लांट खुलना

बंद हो जायेगा? हमारे जनता को आपस में लड़ाने के लिए क्यों रखा जाता है ये जनसुनवाई यहां पर? यहां किसानों की जमीन पौने दो रू. में दलालों को बेच दिया गया है तथा दलाल उसी जमीन को करोड़ों रू. में कंपनी को बेच रहे हैं। यदि सच में आप लोग किसानो की समस्या को मानते है तो जो पैतृक भूमि है उसे अधिग्रहण किया जा रहा है उसका मुआवजा प्लांट द्वारा सीधे किसानों को मिलना चाहिए। प्लांट एवं शासन जवाब दे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जो जमीन किसानों के द्वारा वर्तमान में जितनी राशि में जिसके पास बेचा गया है उसे उतनी राशि वापस कर उसकी अंतर की राशि को सीधे पैतृक और मूल किसानों को दिया जाना चाहिए। यही मेरा मांग है यदि आप मेरी मांगो को पूरा करते है तभी यहां फैक्टरी खुलेगा अन्यथा इसका पूरजोर विरोध किया जायेगा। क्षेत्र के किसानों के हित के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे।

10. **श्री मनोहर कुर्रे, पूर्व जनपद सदस्य, मस्तूरी** :– मेसर्स एस. के. एस. सीमेंट कंपनी के बारे में यहां बहुत सारे एडवांटेज को बताया गया किन्तु उसके डिसएडवांटेज को नहीं बताया गया। हमको विरोध करने में कोई फायदा नहीं है। मेसर्स एस. के. एस. कंपनी द्वारा हमारे क्षेत्र के पानी, वायु, यहां के भू–गर्भ में छिपे अपूर्व रत्नों का भरपूर उपयोग किया जायेगा। हमे इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं है। किसान होने के नाते हमे ऐतराज इस बात की है कि हमारी जमीन निकलती है तो हमें पीड़ा होती है। मैं चाहता हूँ कि जिस किसान की जमीन निकलती है उसे उसका पूरा मुआवजा मिले। कंपनी द्वारा इस क्षेत्र के विकास जैसे– भू–विस्थापितों के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए क्या व्यवस्था किया जायेगा? आपके कंपनी में एनीकट की पानी का उपयोग किया जायेगा तो मैं इस बात से असहमत हूँ। निश्चित रूप से प्लांट में जो ब्लास्टिंग होगी तो उसमें पानी के स्त्रोत की व्यवस्था है वह डगमगा जायेगा। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए यहां के किसानों का व्यवस्था आपके द्वारा किया जाना है ऐसी हमारी सोच है। हम लोग ऐसे ही जन सुनवाई में बहुत विरोध किये है किन्तु हम जैसे किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है। यदि कंपनी यहां स्थापित होगी तो कुछ तो फायदा होगी कंपनी को इसलिए यहां के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें भी कुछ फायदा पहुंचाया जाये। किसानों के लिए सुरक्षा व्यवस्था किया जाये तो मैं इस कंपनी का कोई विरोध नहीं करना चाहता हूँ बल्कि मेरा समर्थन है।

11. **श्री राजेश कुमार गुप्ता, भाजपा सदस्य, ग्राम–पंचपेढ़ी** :–जनता को जानकारी नहीं है कि उनको क्या मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है? किसानों को अपने हित में कोई राह नजर नहीं आ रहा है। कंपनी द्वारा मुआवजा राशि स्पष्ट करें, इसमें किसानों को अपना फायदा एवं नुकसान नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में है आने वाले समय में यदि प्लांट खुल जाता है तो उन्हें उचित मुआवजा राशि नहीं मिलने से नुकसान होगा। यहां पर मुआवजा राशि स्पष्ट नहीं हुआ है जिसके कारण किसान आशंकित हैं। अतः मेरा प्रशासन से निवेदन है कि किसानों को उचित मुआवजा मिले और उसके परिवार के एक सदस्य को प्लांट में स्थायी रोजगार दिया जाये और क्षेत्र के प्रभावित बच्चों को भी 50 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराये। यहां जो आई.टी.आई. निर्माणाधीन है उसे कंपनी के द्वारा गोद लिया जाये। कंपनी का समर्थन करेंगे, किन्तु प्रभावित किसानों के मांग की पूर्ति के लिए क्या योजना है उसे स्पष्ट करना होगा आपको। कंपनी का पूरजोर समर्थन करते है विरोध नहीं करना चाहते, पर किसानों का कहीं भी अहित नहीं होना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र के किसानों के द्वारा कम दर पर बेची गई भूमि का उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

12. **श्री जीधन कुमार निर्मलकर, ग्राम–पचपेड़ी** :– मैं ग्राम का बेरोजगार युवक हूँ। और गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरी जमीन अधिग्रहित होने जा रही है। ऐसा मुझे सूचना मिला है। मै ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे और अनेको किसान है। जिनका जमीन अभी बताया गया है कि 2 या 2.5 लाख में रजिस्ट्री कराया गया है। तो ऐसे किसानो के साथ अन्याय नही होना चाहिए। उनको कम से कम 50 लाख रूपये मुआवजा मिलना चाहिए। क्योकि वो अपने जमीन नहीं बल्कि जिंदगी दे रहा है। इसलिए किसानो को उचित मुआवजा 50 लाख रूपये और अधिग्रहित किसानो के घर के बच्चो को स्थायी नौकरी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गांव में सडक, बिजली, पानी की व्यवस्था हो ऐसा गांव वाले चाहते है।

13. **श्री विश्वनाथ यादव** :– पहली बात यह है कि गांव के लोगो को उचित मुआवजा प्रदान किया जावे। दूसरी बात यह है कि जो प्रभावित किसान है उनके बेटे पढ़े है तो ठीक है नहीं पढ़े है तो किसी फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिलती है। मैं निवेदन करता हूँ कि पढ़ा है तो उसको योग्यतानुसार उसे नौकरी दिया जाये। यदि नहीं पढ़ा है तो उसके परिवार के सदस्य को नौकरी में रखा जाये। यही मेरा मांग है। तीसरी बात यहां के स्वास्थ्य शिक्षा जो पेयजल सुविधा है ग्रामीण गांव के लोगों की आवश्यक मूलभूत सुविधाये उपलब्ध करायी जाये। यहां जो लाफार्ज सीमेंट कंपनी है जो स्वास्थ्य

सेंटर खोला है वहां 10 बजे से 2 बजे तक डाक्टर रहते है। 2 बजे चल देते है। यदि हमारे गांव में दीदी भाई भैया किसी को किसी प्रकार की दर्द, पीड़ा या हानि होती है तो कंपनी वाले 1 बजे रात को आकर उनका पीड़ा को दूर कर सकते हैं क्या? एस. के. एस. कंपनी वाले 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाये यहां उपलब्ध करानी चाहिए। किसी मां बहन को प्राथमिक उपचार के लिए बिलासपुर जाना न पड़े। चौथी बात है कि कंपनी का यहां पर कार्यालय खुलना चाहिए। ताकि किसानो को अपनी जमीन का मुआवजा मिलने में परेशानी न हो। मै एक बात बता देना चाहता हूँ कि 24 नंबर वाले का जमीन ले रहे है एवं 25 नंबर वाले का नहीं ले रहे है कंपनी वाले। यहा पर जमीन दलालो के माध्यम से न ले सिर्फ कंपनी वाले अपने निर्धारित रेट में ले। यहां पर जो किसान है किसी ने 1 एकड़ बेचा है तो उसे 2 से 2.5 लाख रू. में। जब एक किसान कंपनी के कर्मचारियों के पास पर्ची लेकर जाता है तो उसका नंबर नही आता है लेकिन वही किसान दलाल के साथ जाता है तो उसका नंबर आ जाता है इसका क्या मतलब है। प्रभावित किसानों का हर वर्ष बोनस दिया जाये।

14. **श्री रामनारायण भारद्वाज, पूर्व मंडल अध्यक्ष** :– आज के इस जन सुनवाई का मैं विरोध करता हूँ क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और मुझें कोई सूचना नहीं दिया गया है। मेरा जमीन गोड़ाडीह, पतईडीह में है और इस तरह किसानों को बहलाकर जनसुनवाई रखा गया है। यदि यह जनसुनवाई पास हो जाती है तो मेरे खेत का मुआवजा एवं अन्य किसानों का मुआवजा प्रति एकड़ 50 लाख रू. से कम नहीं होना चाहिए और मस्तुरी से जोंधरा तक इस फैक्ट्री या कंपनी द्वारा सबसे पहले रोड का चौड़ीकरण करना चाहिए और 24 घंटा बिजली की व्यवस्था करना चाहिए। पानी की व्यवस्था करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए एवं आसपास की गांवों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए स्कूल, स्वास्थ्य, पढ़ाई की और यहां के जितने भी प्रभावित किसान है उनके बच्चों को फैक्ट्री के द्वारा योग्यता के अनुसार नौकरी देना चाहिए और बाहर के लोगों को यहां लाकर नौकरी में ना रखा जाये। यहां पर स्थानीय लोंगों को नौकरी में रखा जाये । जब तक 50 लाख रू. प्रति एकड़ मुआवजा नहीं होगा तब तक हम खेत नहीं देंगे।

15. **श्री कृष्ण पाल देव, लोक जन शक्ति पार्टी, विधान सभा प्रभारी, बिलासपुर** :– विरोध का कारण है कि इस जनसुनवाई से प्रभावित 5 ग्राम पंचायत है। पताईडीह, चिल्हाटी, गोंड़ाडीह, सुकुलसारी, कुड़उडीह यदि हम एक ग्राम पंचायत की आबादी 2000 मानते है तो 10000 की आबादी है तो यहां की उपस्थिति एक चौथाई भी नहीं है तो कारण

है कि मुनादी नहीं करायी गयी है। लोगों को सूचना नहीं दिया गया है । लोग अपनी जमीन दे रहें है, सभी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन उनका भी पक्ष सुना जायें। प्रभावित कृषक हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना पक्ष रखतें तो इस जन सुनवाई का सार्थक पहल होती। कंपनी लगे लेकिन किसानों के अहित करके ना लगे। उन्हे जो उचित मुआवजा जो शासन द्वारा निर्धारित है बाजार मूल्य से चार गुना ज्यादा अधिग्रहण के समय मुआवजा दिया जाना है । परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए और सामाजिक कार्यक्रम के तहत् प्रभावित क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का व्यवस्था कंपनी द्वारा कराया जाना चाहिए और बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए। यहां आई.टी.आई पांच–छः सालों से चल रहा है काफी लोग जो टेक्नीकल प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हे योग्यता के अनुसार नौकरी मिलना चाहिए। यहां के लोगों को पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए। निश्चित ही सीमेंट कंपनी लगेगी तो हमारे खेत खलीहान एवं पर्यावरण प्रभावित होगा उर्वरक शक्ति कम होगी । इनके द्वारा वृहद रूप से वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए, इन्ही सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद ही कंपनी यहां लग सकती है। अन्यथा इसका घोर विरोध किया जायेगा । यदि इस तरह की व्यवस्थाएं कंपनी नहीं करती है तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका घोर विरोध करूगां और करता रहूंगा।

16. **श्री तटाय सिंह मधुकर, ग्राम–पचपेड़ी** :– इससे पहले जो वक्ता बोले हैं उसका कंपनी वाले को पालन करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हुई कि यहां ग्राम पचपेड़ी में जन सुनवाई होने वाला है। हम लोग सुने है तो दौड़ कर आ रहे हैं और जा रहे है। इस प्रकार से धोखा–धड़ी नहीं होना चाहिए, जो मुआवजा है स्वयं किसानो को मिलना चाहिए। क्योंकि आज यहां दलाल गांव–गांव में धूम रहे हैं और गरीब किसानों के पास जाकर तथा उन्हे बहला फुसलाकर जमीन को हड़प लेते है और उनकी खेती चौपट होती जा रही है। उन्हे यह भी पता नहीं चलता कि हमारी जमीन कितने दामो में बिक रही है। किसानों को उनके भूमि का उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

17. **श्री पीलादास रात्रे, ग्राम पतईडीह** :–जिस किसान की जमीन को कंपनी ले रही है। उसका मुआवजा कम से कम 30 से 35 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलना चाहिए। साथ ही उनके परिवार के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक को नौकरी में रखा जाये। गावं में एक ठाकुर देव का मंदिर बनवाया जाये।

18. **श्री अशोक दीनकर, भरकुंडा** :–एस.के.एस. कंपनी को आये लगभग 1.5 वर्ष हो गये है। कंपनी वाले आज तक इस क्षेत्र की जनता के लिए जनहित में कितना खर्च किये है? आज तक न तो पर्यावरण के संबंध में खर्चा किये है, न पेयजल के संबंध में खर्च किये है। 2 से 2.5 लाख रू. में जमीन खरीद रहे है। जनता को पूरा गुमराह कर रहे है। आज तक कंपनी द्वारा कम से कम रूपये में खरीदारी किया जा रहा है। इसलिए मैं इस कंपनी का घोर विरोध करता हूँ। मेरा 5–6 एकड़ जमीन कंपनी में फंसा है मैं अपना जमीन नहीं दूंगा। जो सरकारी जमीन है वह गौचर भूमि है हमारे गाय कहां चरने के लिए जायेंगे। यहां कंपनी नहीं खुलेगा। गौचर जमीन है वह सरकार की है। जनता का राय है तो कंपनी खुलेगा। नहीं तो हम लोग विरोध करते है। कंपनी नहीं खुलेगा।

19. **श्री राकेश मार्शल, ग्राम पचपेढी** :–पिछले 2–3 सालो से कंपनी वाले जमीन नहीं खरीदे है। इसकी अधिकतम राशि है 2 लाख 90 हजार रू. प्रति एकड की दर से। मै पूछना चाहूंगा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा मुझे। मेरी कुछ मांग है कंपनी वाले से एवं शासन से जो इस प्रकार है। ग्राम पचपेढी में संचालित आईटीआई को कंपनी द्वारा गोद लिया जाये। किसानो की जमीन मुआवजा की राशि कम से कम 50 लाख रू. प्रति एकड़ दिया जाये। एक परिवार के एक बच्चे को नौकरी में लिया जाये। प्रभावित किसानो को अस्पताल की सुविधा एवं एमबीबीएस डाक्टर की सुविधा एवं बेहतर शिक्षा हेतु स्कूल संचालित हो। प्रभावित किसानों को पुर्नवास नीति के अंतर्गत् समुचित सुविधा दी जाये। किसानो के द्वारा पूर्व में विक्रय की गई जमीन की राशि 2 लाख 90 हजार दिया गया था जबकि कम से कम 50 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से देय हो। अंतर की राशि को किसानो को मुआवजा के रूप में दी जाये। मेरी मांगे कंपनी अगर सुनती है तो मै इसका समर्थन करता हूँ नहीं तो मै इसका विरोध करता हूँ।

20. **श्री राजेश कुमार शर्मा** :–मै बेरोजगार युवक हूं। मै एसकेएस कंपनी का पुरजोर विरोध करता हूँ। पूर्व में लाफार्ज कंपनी ने जनता के साथ धोखाधडी किया है। 2 लाख से लेकर 22 लाख तक जमीन खरीदी जा रही है। जिन किसानों को कम दर में जमीन बेचना पडा था, जनता के साथ धोखा किया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीण बेरोजगार युवको को रोजगार की व्यवस्था की जाये। मै एस.के.एस कंपनी का पुरजोर विरोध करता हूँ। इसको यहां नहीं खुलना चाहिए।

21. **श्री चाऊसिंह** :–मै गांव का नागरिक हूँ एवं किसान का बेटा हूँ। ईंट भट्ठा में जाकर हम लोग जीवन यापन कर रहे है। आज लाफार्ज कंपनी खोलने हेतु जमीन खरीद चुका है अभी भी हम लोग भट्ठा जा रहे है। अब यहां दूसरा कंपनी आ रहा है। जमीन की रजिस्ट्री करायेगा, कम से कम जैसे ही रजिस्ट्री होगा तो कंपनी के द्वारा हमारा वेतन चालू हो जाना चाहिए, हमें कुछ न कुछ मिलना चाहिए। प्रशासन जब जमीन खरीदने के लिए बैठा है तो हम लड़ाई नहीं कर सकते, जमीन तो बिकेगी ही। हमारे पैतृक जमीन बिक रही है तो हम कहां जाकर अपना जीवन यापन करेंगे। आज हमारे पास 2 एकड जमीन है। जिसका मुआवजा 1 करोड़ रू. भी देता है तो वह इस महंगाई में भी कम है। हम लोग हर साल बाहर भट्ठा में जाकर काम करते है वहां भट्ठा में कार्य करने पर 300 रूपये मिलता है। यहां 200 रू. का भी कोई साधन नहीं है।

अपर कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–बिलासपुर द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के पूर्व निर्धारित अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तावित उद्योग के संबंध में कुल 21 एवं लोक सुनवाई दिनांक 25.07.2014 के दौरान 16 लिखित में आपत्ति/सुझाव/विचार प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार कुल 37 लिखित में आपत्ति/सुझाव/विचार प्राप्त हुए एवं लोक सुनवाई के दौरान लगभग 450 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 21 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित उद्योग स्थापना के संबंध में अपना सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त की गई। सम्पूर्ण लोक सुनवाई कार्यक्रम की विडियोग्राफ एवं फोटोग्राफी कराई गई है। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से 48 लोगों द्वारा अपनी उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई गई है।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के समापन पर अपर कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही के समापन की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर–
अतिरिक्त कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)